बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 4

24 फाल्गुन, 1939 (श.)

वृहस्पतिवार, तिथि ----------

15 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 26

1.	गृह (विशेष) विभाग	....	....	04
2.	वाणिज्यकर विभाग	....	....	01
3.	जल संसाधन विभाग	....	....	02
4.	श्रम संसाधन विभाग	....	....	04
5.	गृह (आरक्षी) विभाग	....	....	02
6.	गृह (कारा) विभाग	....	....	01
7.	समाज कल्याण विभाग	....	....	04
8.	अनु.जाति/अनु. जनजाति कल्याण विभाग	....	....	01
9.	वित्त विभाग	....	....	01
10.	लघु जल संसाधन विभाग	....	....	04
11.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	....	....	01
12.	परिवहन विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**26**

सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाण पत्र

अ * 134. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि संभवत: बिहार देश का पहला राज्य जहां स्वतंत्रता सेनानी की तीसरी पीढ़ी यथा पोता/पोती/नाती/नतनी को प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए नामित सक्षम प्राधिकार एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया जिसमें सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आधार पर 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि राज्य में अबतक कितने स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतनी को सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया ?

कठोर कार्रवाई

* 231. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, वाणिज्यकर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में जी.एस.टी. की नई दर लागू हुए महीनों गुजरने के बाद भी इसका कोई फायदा उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने दैनिक उपभोग की वस्तुएं यथा साबुन, शैम्पु, चौकलेट, टूथपेस्ट, वाशिंग पाउडर, ब्लेड, इलेक्ट्रिक सामानों आदि पर 28 प्रतिशत के बदले 18 प्रतिशत जी.एस.टी. निर्धारित किया है;

(ग) क्या यह सही है कि जी.एस.टी. 18 प्रतिशत होने के बावजूद भी दुकानों में ये सामान पुराने एम.आर.पी. पर ही बेचे जा रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गलत खुदरा मूल्य पर सामान बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अ-दिनांक-8 मार्च, 2018 ई. से स्थगित

उत्तर : (क) अस्वीकारात्मक है।

(ख) स्वीकारात्मक है। केन्द्र सरकार द्वारा दैनिक उपभोग की इन वस्तुओं को 18 प्रतिशत कर दायरे में रखा गया है।

(ग) अस्वीकारात्मक है। वर्तमान में उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए मुनाफाखोरी रोकने के लिए जी.एस.टी. के अधीन राज्य स्तर पर छानबीन समिति कार्यरत है। राज्य स्तरीय छानबीन समिति मुनाफाखोरी से संबंधित शिकायतों को सम्यक जांचोपरांत केन्द्र सरकार के स्तर पर गठित स्थायी समिति को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अग्रसारित करने के लिए अधिकृत है।
जी.एस.टी. की दर 18 प्रतिशत होने के बावजूद भी दुकानों में ये सामान पुराने एम.आर.पी. पर बेचे जाने से संबंधित कोई शिकायत आदिनाक राज्य स्तरी छानबीन समिति के संज्ञान में नहीं है।

(घ) औचित्य नहीं रह जाता है।

अपराध पर लगाम

***** 232. **डा. दिलीप कुमार जायसवाल** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में इधर कुछ महीनों से सुनियोजित तरीके से अपराध को अंजाम दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार को बदनाम करने के लिए बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में अपराध की घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जाता है एवं कानून को हाथ में लेने के लिए लोगों को भड़काया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर अपराध पर लगाम लगाना चाहती है ?

पुल का पुनर्निर्माण

***** 233. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2017 की बाढ़ में प. चंपारण जिला अंतर्गत तिरहुत मेन कैनाल का मनियारी पुल ध्वस्त हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मेन कैनाल से बेलवा साठी नहर निकलती है जिसके खजूरिया थपौरा, केहनिया उप वितरणी एवं मुख्य कैनाल के माध्यम से 300 गांवों की लगभग 30 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है;

(ग) क्या यह सही है कि पुल ध्वस्त होने के कारण सिंचाई कार्य बाधित है, फलस्वरूप उस क्षेत्र की खेती प्रभावित हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार तिरहुत मेन कैनाल का मनियारी पुल का पुनर्निर्माण कबतक करना चाहती है ?

श्रम न्यायालय की स्थापना

***** 234. **श्री जावेद इकबाल अंसारी** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बांका जिला के स्थापना काल से अबतक बांका में जिला श्रम न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि श्रम न्यायालय से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु आम जनों को बांका मुख्यालय से 60 कि.मी. की दूरी तय कर भागलपुर जाना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में बांका जिला मुख्यालय में श्रम न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन-सा विचार रखती है और कबतक, नहीं तो क्यों ?

अनिवार्यता विलोपित करने पर विचार

***** 235. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि 16 मार्च, 2017 को बिहार गजट में अधिसूचित श्रम संसाधन विभाग के बिहार सचिवालय भोजशाला की नियमावली की कंडिका 10 में निम्नवर्गीय लिपिक को विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली की कंडिका-157, बिहार सरकार ने मुफस्सिल, सरकारी विभागों के लिपिक एवं पदाधिकारियों के लिए लेखा परीक्षा के लिए नियम विहित किये हैं इसलिए बिहार सचिवालय भोजशाला के कर्मी द्वारा लेखा परीक्षा में शामिल होने हेतु साईट खोलने पर नहीं खुलता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार गजट में श्रम संसाधन (श्रम पक्ष) को अधिसूचित क्रमांक-10 में उल्लेखित अनिवार्यता विलोपित करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

सजा दिलाने पर विचार

***** 236. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में हत्या, फिरौती, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की वृद्धि से लोग आतंकित हैं, फिर भी अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने में पुलिस बल अक्षम साबित हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि पुलिस बल का हर स्तर पर आधुनिकीकरण नहीं होने से अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और अपराध घटित होने पर भी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल का हर स्तर पर आधुनिकीकरण करने एवं दोषियों के खिलाफ लंबित मुकदमों को प्रभावी कर शीघ्र सजा दिलाने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

उच्चस्तरीय जांच

***** 237. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रुन्नी सैदपुर प्रखंड की खड़का पंचायत में भाटा टोला बांध की मरम्मती संवेदक द्वारा घटिया कार्य किये जाने के कारण वर्ष 2017 की आयी बाढ़ में पांच बार बांध टूट चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बांध के निर्माण एवं मरम्मती में विभागीय पदाधिकारी एवं संवेदक द्वारा बिना कार्य कराये करोड़ रुपये का भुगतान कर लिया गया है, जबकि बांध आज भी असुरक्षित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बांध की मरम्मती ठीक से कराने एवं विभागीय पदाधिकारी एवं संवेदक द्वारा की गई गड़बड़ी की उच्चस्तरीय जांच कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नये जेल भवन का निर्माण

***** 238. **श्री वीरेन्द्र नारायण यादव** : क्या मंत्री, गृह (कारा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य का प्राचीन एवं महत्वपूर्ण जेल छपरा में अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से जुड़े यादगार पलों का गवाह 'यह जेल जर्जर अवस्था में' ध्वस्त होने के कगार पर है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार के सभी जिलों के नया जेल का भवन निर्माण हो गया है लेकिन छपरा स्थित जेल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छपरा स्थित महत्वपूर्ण जेल का नया भवन निर्माण कराकर सभी सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

योजनाओं का लाभ नहीं

***** 239. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में 544 समेकित बाल विकास परियोजनाओं में करीब चार सौ, बाल विकास परियोजनाओं में करीब 400 सी.डी.पी.ओ. तैनात हैं;

(ख) क्या यह सही है कि 2017 में शुरू हुई मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है एवं किशोरी बालिका योजना के तहत 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार की राशि दी जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त दोनों योजनाओं की प्रगति अत्यंत खेदजनक है, सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ गर्भवती महिलाओं एवं 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों को नहीं मिल पा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त योजनाओं का लाभ लाभुकों को शीघ्र मुहैया कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

रिक्त पदों पर पदस्थापन

***** 240. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में जिला कल्याण पदाधिकारियों के रिक्त पदों के कारण विभागीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) सरकार यह बतालायेगी कि राज्य में कितने जिला कल्याण पदाधिकारियों का रिक्त पद है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सभी रिक्त पदों पर जिला कल्याण पदाधिकारियों का पदस्थापन करना चाहती है ?

बैंक की स्थापना

*****241. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड के बाखरपुर पूर्वी पंचायत, बाखरपुर पश्चिमी पंचायत, बाबूपुर पंचायत एवं मधुबन पंचायत में आम जनता की सुविधा हेतु किसी भी बैंक की स्थापना अब तक नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि इन चारों पंचायतों की कुल आबादी लगभग 25,000 (पच्चीस हजार) है जिन्हें बैंकिंग संबंधी किसी भी कार्य हेतु दस से पन्द्रह (10-15) किलोमीटर दूर पीरपैंती, मिर्जाचौकी अथवा शिवनारायणपुर जाना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त चारों पंचायतों के केन्द्र में स्थित बाखरपुर पूर्वी पंचायत में बैंक की स्थापन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

इन्सट्रक्टर की बहाली

*242. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि युवाओं के कौशल विकास के लिए राज्य में नये-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में न तो प्रैक्टिकल के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचनाएं हैं, न ही इंस्ट्रक्टर हैं;

(ग) क्या यह सही है कि 25 नये आई.टी.आई. के छात्र बिना पढ़े और बिना प्रैक्टिकल के ही परीक्षा देने को मजबूर हुए हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आई.टी.आई. में प्रैक्टिकल की आधारभूत संरचना विकसित करने एवं इंस्ट्रक्टर की बहाली प्रक्रिया पूर्ण करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अविलम्ब निर्माण

* 243. **श्री हीरा प्रसाद बिन्द** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत बिन्द प्रखंड स्थित उतरथू पंचायत के ग्राम मसियां में गोइठवा नदी के तट पर पूर्व से निर्मित निगार पुल से किसानों की खेती के पटवन का कार्य एवं अधिक जल होने पर जल निकासी का कार्य होता है जो पुल पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त निगार पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण नदी से पानी का हमेशा बहाव होता रहता है जिससे सटे गांव माजिदपुर, हुसैनपुर, मनोरमपुर, मुहम्मदपुर के किसानों की खेती का पटवन नहीं हो रहा है तथा बरसात के दिनों में नदी का पानी क्षतिग्रस्त पुल से मैदानी भाग में प्रवेश कर खड़ी फसलों को जलप्लावित कर देता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त गांव के किसानों के द्वारा प्रशासन को निगार पुल के निर्माण हेतु अनुरोध किया गया किन्तु अभी तक निर्माण कार्य नहीं हो पाया है जिससे किसानों में आक्रोश है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गांव में गोइठवा नदी तट पर मसिया ग्राम अवस्थित निगार पुल का अविलम्ब निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

महिला आई.टी.आई. कॉलेज का निर्माण

*244. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य स्तर पर सभी जिलों में आई.टी.आई. कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जमुई जिला अंतर्गत प्रखंड गिद्धौर में महिला आई.टी.आई. कॉलेज नहीं होने के कारण वहां की छात्राओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जमुई के गिद्धौर प्रखंड में महिला आई.टी.आई. कॉलेज का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

उचित कार्रवाई

*245. **श्री मनोज यादव** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य में श्रीमती रेणु सिन्हा, महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नौबतपुर, जिला-पटना का पदस्थापन नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड में पदस्थापन के समय 5000/ (पांच हजार) रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण Lower special case no.61/2007 vigilance, p.s. no. 96/2007 दर्ज मामले में दो साल की सजा तथा 10,000/- (दस हजार) रुपये का अर्थ दण्ड का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक-6.5.2015 को पारित किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित मामले के 11 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आजतक उक्त पदाधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने में उच्च पदाधिकारियों द्वारा शिथिलता बरतकर दोषी पदाधिकारी को लाभ पहुंचाया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार न्यायालय द्वारा दो साल की सजा तथा 10,000/- (दस हजार) रुपये की सजा का आदेश पारित होने के बावजूद उक्त पदाधिकारी की बर्खास्तगी की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करना तथा उक्त दोषी पदाधिकारी (श्रीमती रेणु सिन्हा) को बर्खास्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्थानांतरण कब तक

*246. **श्री सुबोध कुमार** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के नियमानुसार बिहार पुलिस के कर्मियों को एक जिला में अधिकतम पांच वर्ष तथा एक थाना में अधिकतम तीन वर्षों तक ही पदस्थापित करना है;

(ख) क्या यह सही है कि हाजीपुर नगर थाना में पदस्थापित ए.एस.आई. जनार्दन राय करीब 15 वर्षों से वैशाली जिले में पदस्थापित हैं तथा उनकी कार्यशैली विवादास्पद है जिसके कारण डी.आई.जी., मुजफ्फरपुर द्वारा इनका स्थानान्तरण कहीं दूसरे जिले में करने का आदेश दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ए.एस.आई. को किसी दूसरे जिले में स्थानान्तरित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

योजना का लाभ

*247. **श्री सोनेलाल मेहता** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार ने दिनांक-18.3.1974 से 21.3.1977 की अवधि में डी.आई.आर. एवं मीसा में बंदी बनाये गये आंदोलनकारियों के लिए जे.पी. सेनानी सम्मान योजना लागू किया है;

(ख) क्या यह सही है कि गृह (विशेष) विभाग, पटना के उप सचिव के निर्देश के बाद खगड़िया के जिला पदाधिकारी ने छानबीन कर अपने पत्रांक-1631, दिनांक-29.11.2013 द्वारा खगड़िया जिले के 22 जे.पी. सेनानी सम्मान हेतु नाम की सूची उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग पटना को भेजी थी;

(ग) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा भेजी गई सूची में एक जे.पी. सेनानी सम्मान योजना के तहत पेंशन स्वीकृत किया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सूची में बचे हुए आंदोलनकारी को जे.पी. सेनानी सम्मान योजना के तहत स्वीकृति देना चाहती है, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रशासनिक कार्रवाई

*248. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय, मुंगेर के विरुद्ध जनता से प्राप्त परिवाद में संयुक्त आयुक्त विभागीय जांच मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा जांच प्रतिवेदन विभाग में भेज दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जांच प्रतिवेदन में इन दोनों की संलिप्तता परिलक्षित है तथा उनके विरुद्ध प्रपत्र 'क' गठित किया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन दोनों पर प्रशासनिक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

आरक्षित सीट

* 249. **श्री संजय प्रकाश** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि परिवहन विभाग सरकारी एवं निजी बसों को रोड परमिट निर्गत करता है;

(ख) क्या यह सही है कि इस परमिट को जारी करने में कई अर्हताएं होती हैं जिसके बिना परमिट जारी नहीं किया जा सकता;

(ग) क्या यह सही है कि इन अर्हताओं में दिव्यांग के लिए आरक्षित सीट भी सुनिश्चित है;

(घ) क्या यह सही है कि इस अर्हता को सरकारी या निजी बस लागू नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसे कबतक लागू करा पायेगी ?

दिव्यांग शब्द का उपयोग

***** 250. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 लागू है;

(ख) क्या यह सही है कि अशक्त लोगों को विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का उपयोग राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में किया जाना है, लेकिन पटना में दिव्यांगों के लिए बनने वाले पंजीयन प्रमाण पत्र में आज भी 'विकलांग पंजीयन आवेदन पत्र' लिखा है;

(ग) क्या यह सही है कि दिव्यांगों के लिए उपकरण आवेदन पत्र, पेंशन प्रमाण पत्र में भी विकलांग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों के आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र में विकलांग की जगह 'दिव्यांग' शब्द का उपयोग अनिवार्य करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

नलकूप चालू कबतक

***** 251. **डा. रामवचन राय** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड इचहौस ग्राम का स्टेट ट्यूबवेल विगत 20 वर्षों से बिलकुल बंद पड़ा है;

(ख) क्या यह सही है कि इस नलकूप के पुनर्स्थापन/जीर्णोद्धार कराने हेतु नाबार्ड के तहत प्रस्तावित योजना में इचहौस-1 नलकूप का चयन किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि नाबार्ड योजना के तहत चयन होने के बावजूद उक्त नलकूप को आजतक चालू नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में उक्त नलकूप को कबतक चालू कराने का विचार रखती है ?

कार्य पूर्ण कबतक

***** 252. **श्री चंदेश्वर प्रसाद** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के मसौढ़ी प्रखंड अंतर्गत चपौर पंचायत के चपौर ग्राम में घरा खंधा से सीवाना खंधा गजगाह, खगड़ी खंधा होते हुए मलहचक मोरहर नदी तक आहर उड़ाही एवं तटबंध एवं पुलिया निर्माण तथा ग्राम चाननपुर में परानी कंटाही पीपल के पेड़ से डगर पर व मंझला आहर व सोतपर होते हुए देवी स्थान तक आहर उड़ाही एवं तटबंध मरम्मती कार्य कराने हेतु लघु जल संसाधन विभाग एवं लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को आवेदन दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आवेदन के अनुसार सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताना चाहती है कि खंड 'क' पर आहर की उड़ाही, तटबंध की मरम्मती एवं पुलिया निर्माण संबंधी प्रस्तुत प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि आवंटन करते हुए उक्त कार्य कब तक पूरा करेगी ?

टूटे नालों की जांच

***** 253. **श्री शिव प्रसन्न यादव** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीवान जिला में काफी संख्या में बने सरकारी नलकूपों से किसानों के खेतों का पटवन होता है;

(ख) क्या यह सही है कि प्राय: बहुतेरे नलकूपों से पटवन के लिए बने नाले टूटे हुए हैं;

(ग) क्या यह सही है कि सीवान जिला के दरौन्दा प्रखंड के मीराचक गांव के नलकूप का नाला टूटा हुआ है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त टूटे हुआ नाले जो घटिया किस्म के बने थे, की जांच करने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया, परंतु जांच करने के लिए दिया गया आदेश का अनुपालन आजतक नहीं हुआ और नाला आजतक टूटा पड़ा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाना चाहती है कि सीवान जिला में कितने नलकूप बने हैं तथा उक्त नलकूपों के टूटे नालों की जांच में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों पर दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए टूटे नालों की मरम्मती कबतक करना चाहती है ?

जांच परीक्षा का आयोजन

***** 254. **श्री दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार के गृह (विशेष) विभाग द्वारा 405 पदों यथा-प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर एवं डाटा इंट्री ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति हेतु ऑन लाइन आवेदन मांगा गया था;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित पदों में से डाटा इंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए ली जाने वाली कम्प्यूटर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण परीक्षा लेने के पश्चात् उक्त परीक्षा को रद्द कर दिया गया;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्ष 2016 में विज्ञापित पद डाटा इंट्री ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति हेतु उक्त आवेदकों के लिए पुन: कम्प्यूटर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण जांच परीक्षा का आयोजना करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

एकमुश्त भुगतान

***** 255. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत वर्ष 2016 मार्च से पूर्व वृद्धा पेंशन योजना के योग्य लाभार्थियों का पेंशन अद्यतन लंबित है;

(ख) क्या यह सही है कि पेंशन पर आश्रित लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिलने के कारण खासी परेशानी झेलनी पड़ती है;

(ग) क्या यह सही है कि मैंने लिखित रूप से सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मधुबनी से वर्ष 2016 मार्च से पूर्व योग्य लाभार्थियों की संख्या, आवंटन के अनुरूप वितरण तथा लंबित लाभार्थियों की सूची मांगी थी, जो आज तक मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्ष 2016 मार्च से पूर्व योग्य लाभार्थियों के लंबित पेंशन राशि का एकमुश्त भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 15 मार्च, 2018 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्